राजस्व वाद संख्याः– 95/2018

वादीगणः–

1. भारमलराम पुत्र श्री खीयाराम
2. गणपतराम पुत्र श्री खीयाराम
3. छोगाराम पुत्र श्री खीयाराम
4. रामुराम पुत्र श्री हरजीराम
5. जोराराम पुत्र श्री हरजीराम
6. बलवन्ताराम पुत्र श्री नरींगाराम,
   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम लाखेटा
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, ओसियां।
2. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

वादीगण – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15/3/21

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– वादीगण की पैतृक संयुक्त हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 860 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा, मौजा ग्राम मतोड़ा वर्तमान ग्राम लाखेटा में आई हुई थी जो वादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जो निर्विवाद है। उपरोक्त

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

भूमि में से वादीगण के पूर्वजों व वादीगण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम बेचान, बग्सीस इत्यादि नहीं की है न ही उक्त भूमि के बाबत् कोई अवाप्त की कार्यवाही की गई तथा उक्त भूमि के बाबत् किसी भी न्यायालय या विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से भूमि दर्ज करने बाबत् कोई आदेश कभी भी पारित नहीं हुआ। उपरोक्त भूमि में से कोई सड़क इत्यादि भी कभी नहीं चली न ही वर्तमान में सड़क इत्यादि चल रही है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 860 में से नक्शा ट्रेश के अनुसार भी कोई सड़क नहीं लग रही है लेकिन बिना किसी आदेश, निर्णय व डिगरी तथा बिना अवाप्त की कार्यवाही किये उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 860 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन सड़क अलग खाते के रूप में खसरा नम्बर 860/1 दिया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज कर दी तथा वादीगण व वादीगण के पूर्वजों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से कोई बेचान, बग्सीस हस्तान्तरण इत्यादि भी नहीं किया। उक्त भूमि केवल मात्र अन्य भूमियों के साथ बिना किसी आदेश के नामान्तरकरण संख्या 189 दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दी। नामान्तरकरण संख्या 189 अपने आप में अस्पष्ट है जिसके कॉलम संख्या 14 में भी किंसी प्रकार का आदेश, बग्सीस, अवाप्ती आदेश का भी वर्णन नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई आदेश कभी भी पारित नहीं हुआ बिना आदेश के ही नामान्तरकरण दर्ज कर लिया तथा मौके पर भी उक्त भूमि में से कोई रास्ता, सड़क इत्यादि न तो कभी थी न ही वर्तमान में है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 189 भी एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज नहीं की सकती है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आज दिन लगातार शांतिपूर्वक बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है जिसमें हर वर्ष वादीगण काश्त कार्य करते हैं। जिसमें वादीगण का आज दिन अपने खातेदारी अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से खसरा नम्बर 860/1 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन सड़क के रूप में दर्ज नहीं की जानी थी। मौके पर भी उक्त भूमि सड़क के रूप में उपयोग एवं उपभोग नहीं आ रही है इसलिए वादीगण उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि गलत तरीके सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने की जानकारी होते ही वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कार्यालय में चक्कर काटने शुरू कर दिये तथा इसके बारे में पुछा तो हमेशा यही जबाब मिलता रहा कि राजस्व कर्मचारियों की भूलवश यह भूमि गलत तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई है यह त्रुटि अतिशीघ्र सुधारी जाकर यह भूमि आपके नाम से दर्ज करवा देंगे तो वादीगण हमेशा इसी विश्वास में रहे की त्रुटिवश यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम

दर्ज हुई है अपने आप वापिस हमारे नाम दर्ज हो जायेगी। लेकिन इतने लम्बे समय बाद दिनांक 27.08.2018 को जब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब पता चला कि जो त्रुटिवश भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई है वह भूमि आज दिन भी यथावत सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से चल रही है तो वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकल लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया तो जबाब मिला कि हम लोग इस भूमि बाबत् त्रुटि नहीं सुधार सकते न ही यह भूमि आपके नाम दर्ज कर सकते है हम तो मौके से आपको बेदखल करेंगे। तब वादीगण ने निवेदन किया कि यह भूमि त्रुटिवश दर्ज हो रखी है तो प्रतिवादीगण ने एलानिया वादीगण को बेदखली की धमकी दी और कहा कि शीघ्र ही आपको मौके से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त भूमि केवल मात्र वादीगण की हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें उक्त त्रुटि सुधारी जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित होने का पूर्ण अधिकार है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 860/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम लाखेटा तहसील बापिणी में वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें। तदुनसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा उपस्थित तथा उनकी ओर से वकालात नामा व जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावा मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। वादीगण की ओर से गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र PW 1 रामुराम, PW 2 खमुराम, PW 3 मनोहरलाल के साक्ष्य लेखबद्ध किये साथ ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के बयान लेखबद्ध किये गये तथा उपरोक्त सभी गवाहन की जिरह पूर्ण की।

बहस पक्षकारान सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का स्वीकार किया जाकर खसरा

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

नम्बर 860/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लाखेटा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान व प्रदर्शित दस्तोजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 860 पूर्व ग्राम मतोड़ा में खींया, नरींग, रामू, जोरा पिता हरजी के नाम से खातेदारी के रूप में भूमि दर्ज थी तथा बिना भूमि अवाप्ति के इस खसरे में से 7 बीघा 10 बिस्वा के रूप में भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से जारी की गई तथा स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि ग्राम लाखेटा की जमाबन्दी चौसाला संवत् 2073 से 76 में खाता संख्या 184 खसरा नम्बर 860/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, पी.डब्ल्यु.डी. के खाते में दर्ज है। मौके पर सीमांकन करने पर पी.डब्ल्यु.डी. के हिस्से में 13 बिस्वा भूमि पर काबिज है जबकि 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिस पर वह काबिज नहीं है अतः पी.डब्ल्यु.डी के हिस्से में 13 बिस्वा भूमि पर ही काबिज है। खसरा नम्बर 860/1 में से शेष रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा पर भारमलराम वगैरा ही काबिज है व काश्त करते आ रहे है। साथ ही हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के बयानों में उल्लेख है कि नामान्तरकरण संख्या 189 स्वीकार किया जाकर पी.डब्ल्यु.डी. के नाम से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज की थी जिसकी अलग से जमाबन्दी 860/1रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज की साथ ही जिरह में यह स्वीकार किया गया कि नामान्तरकरण में अवाप्ति का कोई अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि पी.डब्ल्यु.डी. के खाते में भूमि दर्ज करने बाबत् अवाप्त की कार्यवाही की जानी होती है लेकिन कई बार मौखिक सहमति से भी की जाती है तथा यह भी स्वीकार किया कि सहमति बाबत् भी कोई अंकन नहीं है तथा नियमानुसार हमारी सड़क के मध्य बिन्दु से 15–15 मीटर यानि कुल 30 मीटर चौड़ी सड़क है तो न्यायालय द्वारा फिर से प्रतिवादी संख्या 2 से 30 मीटर चौड़ी सड़क के अनुसार मौके पर चल रही सड़क का माप तलब किया गया तो मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि इस हिसाब से खसरा नम्बर 860 में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि बनती है, जबकि रेकर्ड में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही सड़क के रूप में उपयोग व उपभोग आ रही है, इससे अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से गलत दर्ज हो रखी है इसलिए वादीगण शेष रकबा यानि 7 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा 18 बिस्वा के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है तथा साथ ही 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रखी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

सहायक कर्मचारी, बोर्ड

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 860/1 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लाखेटा तहसील बापिणी में से 05 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि 1 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रहेगी। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को लिखा जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 15/3/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां